



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO. 17/2018

विषय: डाक विनियम, 2018 द्वारा निर्यात

Subject: Exports by Post Regulations, 2018 -Reg

सभी निर्यातकों, आम व्यापारियों, सीमाशुल्क ब्रोकरों और अन्य सभी हितधारकों का ध्यान डाक विनियम, 2018 द्वारा निर्यात के लिए तैयार किये गए सीबीआईसी की अधिसूचना सं.8/2018-कस्टम्स दिनांक 04.06.2018 द्वारा अधिसूचित और परिपत्र सं.4/2018-कस के अनुसार डाक के माध्यम से व्यक्तिगत आयात की प्रक्रिया और उसके स्पष्टीकरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of all Exporters, trading public, Customs Brokers and all other stakeholders is drawn to the Exports by Post Regulations, 2018, notified vide CBIC Notification No.48/2018 -Customs dated 04.06.2018 and Circular No.14/2018 -Cus dated 04.06.2018 on the procedure for e-commerce exports through Post and clarification on personal imports.

2. उपर्युक्त के अनुसार निर्यात को सुविधाजनक बनाने और ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के निर्यातकों के वैश्विक पहुंच को आसान बनाने के लिए, सभी आईईसी धारकों को विदेशी डाक घरों के माध्यम से माल निर्यात करने की अनुमति दी गई है, और वे आई जी एस टी धन वापसी/ एल यू टी का निर्वहन के द्वारा निर्यात के शून्य रेटिंग के लिए योग्य होंगे। जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाने या छूट/ गैर-कर योग्य श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें भी उसी प्रक्रिया के तहत निर्यात करने की अनुमति है। बोर्ड ने सीमा शुल्क ब्रोकरों को निर्यातकों के संचालन को आसान बनाने के लिए सभी विदेशी डाकघरों में काम करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है।

Vide the above, in order to facilitate exports and give a fillip to the global outreach of India's exporters via e-commerce, all IEC holders have been permitted to export goods through FPOs, and will be eligible for Zero rating of exports, by way of IGST refunds/discharge of LUT. Those who do not wish to avail this facility or fall in the category of Exempted/Non-Taxable are also permitted to export under the same procedure. The Board has also permitted Customs Brokers to operate at all Foreign Post Offices for the ease of operation of exporters.

3. ई-कॉमर्स निर्यात के संबंध में, एक वैध आईईसी कोड धारक निर्यातक को डाक विनियम, 2018 के द्वारा निर्यात के तहत निर्धारित फॉर्म में निर्यात बिल (पीबीई) दर्ज करके माल को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। चूंकि एफपीओ (विदेशी डाक घरों) में ईडीआई सिस्टम उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिलों को मैन्युअल तरीके से संसाधित किया जाएगा; यद्यपि आई सी ए एन सुविधा (डीजी सिस्टम द्वारा प्रदान की गई ऑफलाइन उपयोगिता) के माध्यम से जीएसटी के प्रयोजन के लिए आंकड़ों को प्राप्त करके अपलोड किया जाएगा।

In respect of e-commerce exports, the exporter holding a valid IEC code shall be permitted to export goods by filing a Postal Bill of Export (PBE) in the form prescribed under the Export by Post Regulations, 2018. Since EDI System is not available in the FPOs, the Bills shall be processed manually; however, data will be captured and uploaded for GST purposes through ICAN facility (an offline utility provided by DG System).

4. एम ई आई एस योजना के तहत ई-कॉमर्स निर्यात बोर्ड के दिनांक 29.07.2016 के परिपत्र संख्या 3/2016 से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के विदेशी डाकघरों के माध्यम से नियंत्रित होगी; सिवाय इसके कि घोषणा अब नए नियमों के तहत निर्धारित पीबीई-1 फॉर्म में दी जाएगी। ई-कॉमर्स निर्यात जिसमें एम ई आई एस शामिल नहीं है, किसी भी अधिसूचित विदेशी डाकघर के माध्यम से किया जा सकता है।

E-commerce exports under MEIS Scheme shall continue to be governed through the Board Circular No3.6/2016 -CuS dated 29.07.2016, through the Foreign Post Offices at Delhi, Mumbai and Chennai; except that the declaration shall now be given in the PBE-I form as prescribed under the new Regulations. E-commerce exports not involving MEIS, may be done through any notified Foreign Post Offices.

5. ई-कॉमर्स निर्यात में पी बी ई-1 फॉर्म दो प्रतियों में दायर किया जाएगा और एक पी बी ई-1 फॉर्म का उपयोग करके किए जाने वाले डाक शिपमेंट की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। जिस निर्यात के मामले में ई-कॉमर्स शामिल नहीं है, उसमें निर्यातक को पीबीई II फॉर्म दर्ज करना होगा जो केवल एक ही परेषिती के लिए होगा। निर्यातक को संशोधित सी एन 22/ सी एन 23 फॉर्म भी दर्ज करना होगा। पी बी ई पर प्रत्येक शिपमेंट की ट्रैकिंग संख्या निर्धारित करने के बाद मूल को सीमा शुल्क रखेगा और दूसरी प्रति निर्यातक/ सीमाशुल्क ब्रोकर को सौंप दिया जाएगा। संबन्धित सी एन/ सी पी फॉर्म के रूप में निर्यात का सबूत प्राप्त होने पर सीमा शुल्क द्वारा आई सी ए एन प्रणाली में आवश्यक विवरण दर्ज किया जाएगा।

The PBE-I form shall be filed in duplicate by e-commerce exports and there shall be no limit on the number of Postal shipments which can be effected using a single PBE I Form. In case of exports not involving e-commerce, the exporter shall file PBE II form which shall cover only one consignee. The exporters shall continue to file the revised CN 22/CN 23 forms as well. After affixing the tracking number of each shipment on the PBE, the original will be retained by Customs while the duplicate will be handed over to the exporter/Custom Broker. On receiving the Proof of export in the form of relevant CN/CP forms, Customs shall enter the necessary details in ICAN system.

6. फर्मों और कंपनियों के अलावा साधारण व्यक्तियों के मामले में जो पार्सल निर्यात करते हैं, उसमें वर्तमान में चल रही प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें कोई पीबीई दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। निजी आयात के मामले में, यानी "व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल आयात या निर्यात करने वाले व्यक्ति, जो व्यापार या निर्माण या कृषि से जुड़े नहीं हैं" चाहे कूरियर से

या पोस्ट से या एयर से या समुद्री मार्ग से कर रहे हो, उन्हें सीमा शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्षक 9804 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

In the case of natural persons, i.e. other than firms and companies, exporting parcels, there is no change in procedure being followed hitherto. It is clarified that they will not be required to file any PBE. In case of personal imports, i.e. "Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture", whether by courier or post or by Air or Sea shall be classified under Tariff heading 9804 of the Customs Tariff.

7. नए विनियमों के संबंध में जारी सीबीआईसी की अधिसूचना सं. 48/2018- कस्टम्स और परिपत्र सं.14/2018- कस दिनांक 04.06.2018 की प्रतियां संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

Copy of the CBIC Notification No.48/2018 -Customs and Circular No.14/2018 -Cus dated 04.06.2018 on the new Regulations are enclosed for reference.

8. नए विनियम 21 जून 2018 से प्रभावी होंगे। सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि इसके बारे में संज्ञान लें। यदि कोई कठिनाई हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी की सूचना में लाएँ।

The new regulations shall come into effect from 21st June 2018. All stakeholders are directed to take cognisance of the same. Difficulties, if any may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

संलग्न Encl: As above

F.No.C1/05/2017 TU. Cus.

दिनांक Dated: 11.06.2018

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
2. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईजेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

3. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ओर्गनाइजेशन, कोचिन
Federation of Indian Exports Organisation, Cochin

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//जी.अनिलकुमार / G.ANILKUMAR//
मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)